रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 228] नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 1970/आषाढ़ 1, 1892
No. 228] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 1970/ ASADHA 1, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 16th June 1970

S.O. 2203.—In pursuance of sub-clause (f) of clause (iii) of sub-section (3) of section 194A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notify for the purposes of the said sub-clause, the Market Committees established under the State Agricultural Produce Markets Acts in various States.

[No. 102 F. No. 275/64/70-ITJ.]

S. K. LALL, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

आयकर

नई दिल्ली, 16 जून, 1970

एस० ओ० 2203.—आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194-क की उपधारा 3 के खण्ड (iii) के उपखण्ड (च) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, उक्त

उपखण्ड के प्रयोजनों के लिये, राज्य कृषि उत्पाद बाजार अधिनियमों के अधीन विभिन्न राज्यों में स्थापित बाजार समितियों को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है ।

[सं० 102/फा० सं० 275/64/70-आई० टी० जे०]

एस० के० लाल, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970